



कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

:: कौशल परीक्षा बुलावा पत्रक ::

कमांक/ ¹⁵¹⁰ /जि.पं./स्था/मनरेगस/2018-19 राजनांदगांव, दिनांक: 22/09/2018

अभ्यर्थी का नाम :-


पिता का नाम :-

पंजीयन क्रमांक :-

वर्तमान पता :-

.....

.....



विषय :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सहायक परियोजना अधिकारी/लेखापाल के रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित होने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 28/09/2018 को स्थान जिला पंचायत राजनांदगांव में पूर्वान्ह 11.00 बजे आयोजित है। अभिलेखों के सत्यापन हेतु समस्त शैक्षणिक योग्यता, निवास, जाति, अनुभव प्रमाण पत्र एवं विज्ञापन में दर्शित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति सहित परीक्षा समय के 01 घण्टा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। सत्यापन हेतु निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने अथवा मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आपको कौशल परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा एवं आपका अवसर समाप्त माना जायेगा। मूल अभिलेख के साथ समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं आधारकार्ड/पेनकार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत राजनांदगांव



कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

:: दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलावा पत्रक ::

क्रमांक/ ¹⁵⁰⁹ / जि.पं./स्था/मनरेगस/2018-19 राजनांदगांव, दिनांक: 22/09/2018

अभ्यर्थी का नाम :-
पिता का नाम :-
पंजीयन क्रमांक :-
वर्तमान पता :-
.....
.....

पासपोर्ट साईज फोटों
चस्पा करें

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत भृत्य के रिक्त पदों पर संविदा भर्ती दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत भृत्य पद संविदा भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए दिनांक 29/09/2018 को स्थान जिला पंचायत राजनांदगांव में पूर्वाह्न 11.00 बजे समस्त शैक्षणिक योग्यता, निवास, जाति, अनुभव प्रमाण पत्र एवं विज्ञापन में दर्शित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति सहित उपस्थित हों। सत्यापन हेतु निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने अथवा मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आपका अवसर समाप्त माना जायेगा। मूल अभिलेख के साथ समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं आधारकार्ड/पेनकार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत राजनांदगांव